

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15103/2025

Ramdayal S/o Punilal

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Umesh Dixit

For Respondent(s) : Mr. Amit Kumar Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

04/12/2025

यह पत्रावली प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 11.11.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-आई.ए.1/2025 पर आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी है, जिसके द्वारा पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाईमाधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-331/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में प्रार्थी अभियुक्त को अंतरिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है ।

बहस सुनी गई ।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त के पुत्र की मृत्यु दिनांक 03.12.2025 को हुई है, प्रार्थी/अभियुक्त को दाह-संस्कार/क्रियाकर्म एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करनी है, अतः इस हेतु प्रार्थी/अभियुक्त को समुचित अवधि के लिए अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया ।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र की मृत्यु बाबत पुलिस थाना मानटाउन, जिला-सवाई माधोपुर की सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 04.12.2025 पेश की, जिसे अभिलेख पर रखा जाता है ।

हमने दोनों पक्षों के तर्कों, वितर्कों पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, योग्य अधिवक्ता द्वारा किए गए कथनों तथा प्रार्थी/अभियुक्त को पुत्र के दाह-संस्कार/क्रियाकर्म एवं अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के क्रम में पन्द्रह दिन की अवधि हेतु अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-**आई.ए.1/2025** स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के संतोषप्रद 50,000/-रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000-25,000/-रूपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रूपए) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान शांति व सद्व्यवहार बनाए रखेगा एवं अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा अंतरिम जमानत की पन्द्रह दिवस की अवधि समाप्त होने पर वह पुनः संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त **रामदयाल पुत्र पूनीलाल** को अविलम्ब अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आदेशानुसार अंतरिम जमानत के क्रम में जिस दिन उसके द्वारा जमानत मुचलके प्रस्तुत किए जाएंगे, उसी दिन से अंतरिम जमानत हेतु उक्त पन्द्रह दिवस की अवधि की गणना की जावेगी।

प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा उक्त नियत अवधि में पुनः संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने या नहीं करने की सूचना संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी द्वारा इस न्यायालय को भेजी जावे।

पत्रावली तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J